

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1 से 3**

संचालनालय वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय हेतु परामर्श सेवाये मद में राशि रूपये 1.50 लाख, लेखन सामग्री तथा छपाई मद में रूपये 0.70 लाख तथा अनुरक्षण मद में रूपये 0.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद क्रमांक 5 से 9**

संचालनालय, कोष लेखा के अंतर्गत संचालित लेखा प्रशिक्षण शालाओं के कार्यालय व्यय हेतु, बिजली एवं जल प्रभार, वर्दियां, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय तथा मशीन उपकरण मद प्रारंभ किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 500 के प्रतीक प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 10**

संचालनालय, कोष लेखा के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 2.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।